भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1729

13 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति

1729. श्री संजय सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में यथा परिकल्पित इस्पात उत्पादन बढ़ाने के संबंध में हुए हालिया विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों में राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 की कुछ प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या कोविड-19 महामारी के कारण इस नीति का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी माहौल का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुरूप निम्नलिखित विभिन्न पहलें की हैं:-

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

(viii) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

(ख) से (घ): विगत चार वर्षों के दौरान कार्य-निष्पादन मानदंडों में से कुछ के संबंध में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) कच्चे इस्पात की क्षमता और उत्पादन

वर्ष	**कच्चा इस्पात**			
	क्षमता (एमटी)	**पिछले वर्ष की तुलना में % बदलाव**	**उत्पादन (एमटी)**	**पिछले वर्ष की तुलना में % बदलाव**
2017-18	137.98	7.6	103.13	5.3
2018-19	142.24	3.1	110.92	7.6
2019-20	142.30	0.0	109.14	-1.6
2020-21	143.91	1.1	103.54	-5.1
2021-22 (अप्रैल - नवंबर)	143.91#	-	76.44	21.1
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); #पूरे वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 के लिए क्षमता की सूचना दी गई है।				

(ii) कुल तैयार इस्पात का उत्पादन और खपत

वर्ष	**कुल तैयार इस्पात**			
	उत्पादन (एमटी)	**पिछले वर्ष की तुलना में % बदलाव**	**खपत (एमटी)**	**पिछले वर्ष की तुलना में % बदलाव**
2017-18	95.01	3.8	90.71	7.9
2018-19	101.29	6.6	98.71	8.8
2019-20	102.62	1.3	100.17	1.5
2020-21	96.20	-6.3	94.89	-5.3
2021-22 (अप्रैल - नवंबर)	72.07	25.5	66.37	20.4
स्रोत: जेपीसी				

(iii) कुल तैयार इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत

वर्ष	कुल तैयार इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत - (किग्रा)
2017-18	69.0
2018-19	74.4
2019-20	74.7
2020-21	70.0
2021-22 (अप्रैल - नवंबर) (ई)	72.3
स्रोत: जेपीसी; ई=अनुमानित	

(iv) तैयार इस्पात का आयात एवं निर्यात

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (अलॉय/स्टेनलेस + नॉन-अलॉय) मात्रा (एमटी)		कुल तैयार इस्पात (अलॉय/स्टेनलेस + नॉन-अलॉय) मूल्य (करोड़ रुपये में)	
	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
2017-18	7.48	9.62	39484	35265
2018-19	7.84	6.36	49317	46629
2019-20	6.77	8.36	44683	33153
2020-21	4.75	10.78	32154	36726
अप्रैल-नवंबर, 2021*	3.06	9.53	28579	69720
स्रोत: जेपीसी ;*अनंतिम				

(v) ग्रीन हाउस गैस (सीओ2) उत्सर्जन में कमी

वर्ष	विशिष्ट सीओ2 उत्सर्जन (टी/टीसीएस)
2018-19	2.55
2019-20	2.48
2020-21	2.49

****